

**न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, सहरसा।**  
**बी० सी० सी० ए० वाद संख्या-03/2018**  
**राज्य बनाम मुकेश यादव**  
**आदेश**

यह कार्यवाही अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, सहरसा ने अपने पत्रांक- 2635 दिनांक-21.05.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मुकेश यादव, पिता- स्व० इन्साफी यादव, साकिन- सैनी टोला, थाना- बख्तियारपुर, जिला-सहरसा एक सक्रिय व कुख्यात अपराधकर्मी है। इनके द्वारा कई संगीन अपराधों का अंजाम दिया गया है। इनका साठ गांठ कई सक्रिय अपराधकर्मियों के साथ है। इनके द्वारा किये गये अपराध से आमजनों में भययुक्त माहौल बना रहता है। इनके आतंक से लोग काफी भयभीत रहते हैं। उक्त अपराधकर्मी को बाहर रहने से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उक्त अपराधी भा०द०वि० के अध्याय 16 एवं 17 में उल्लेखित दंडनीय अपराध में संलिप्त रहता है तथा अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 के धारा-2 (डी) में वर्णित असामाजिक तत्व की परिभाषा इस पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इनका अपराधिक इतिहास निम्नवत है।

1. बख्तियारपुर थाना काण्ड संख्या- 97/05 दिनांक- 21.05.2005 धारा- 394 भा०द०वि०। इस काण्ड में आरोप पत्र संख्या- 86/05 दिनांक- 15.07.2005 समर्पित।
2. बख्तियारपुर थाना काण्ड संख्या- 66/08 दिनांक- 22.03.2008 धारा- 307 भा०द०वि०। इस काण्ड में आरोप पत्र संख्या- 234/08 दिनांक- 31.07.2008 समर्पित।
3. बख्तियारपुर थाना काण्ड संख्या- 290/13 दिनांक- 03.11.2013 धारा- 341, 323, 325, 379, 384, 34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। समर्पित। इस काण्ड में आरोप पत्र संख्या- 123/14 दिनांक- 24.07. 2014 समर्पित।
4. बख्तियारपुर थाना काण्ड संख्या- 230/15 दिनांक- 02.06.2015 धारा- 364, 302, 201, 120बी० भा०द०वि०। इस काण्ड में आरोप पत्र संख्या- 262/15 दिनांक- 29.09.2015 पूरक आरोप पत्र संख्या- 31/16 दिनांक- 19.02.2016 एवं पूरक आरोप पत्र संख्या- 113/17 दिनांक- 28.03.2017 समर्पित।
5. बख्तियारपुर थाना काण्ड संख्या- 144/18 दिनांक- 12.04.2018 धारा- 341, 323, 379, 384, 386, 504, 506, 34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। फरार।



उक्त आलोक में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय से पत्रांक- 134-2 / न्याया0 / सपत्र, दिनांक 20.06.2018 द्वारा नोटिश जारी कर प्रतिवादी को अपना कारण-पृच्छा समर्पित करने हेतु दिनांक- 20.07.2018 को 3.00 बजे अप0 निर्धारित की गई। प्रतिपक्षी के द्वारा नोटिश प्राप्त किया गया। इस वाद में दोनों पक्ष उपस्थित हुए और उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने बताया कि इन पर वर्णित काण्ड में जो आरोप है, वह गंभीर प्रकृति के है। ऐसे चरित्र के व्यक्ति को छोड़ना न्यायहित एवं लोकहित में उचित नहीं है।

प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अन्तर्गत ये " असामाजिक तत्व " है तथा इसकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1981 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिस पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर मुकेश यादव, पिता- स्व0 इन्साफी यादव, साकिन- सैनी टोला, थाना- बख्तियारपुर, जिला-सहरसा को लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी होने तक के लिए सहरसा जिला से समस्तीपुर जिला के लिए जिला बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक- 25.03.2019 से समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 9.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न एवं 5.00 बजे अपराह्न से 8.00 बजे अपराह्न के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। यदि वे दिनांक- 23.04.2019 को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे, तो उन्हें लिखित रूप से सूचना कल्याणपुर थाना में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण व्यौरा समर्पित करना होगा तत्पश्चात ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे।

थानाध्यक्ष, कल्याणपुर थाना को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में सहरसा जिला से तड़ीपार किये गए मुकेश यादव, पिता- स्व0 इन्साफी यादव, साकिन- सैनी टोला, थाना- बख्तियारपुर, जिला-सहरसा के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।



✓

	<p>आदेश की प्रति जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर/ पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर, थानाध्यक्ष, कल्याणपुर/ पुलिस अधीक्षक, सहरसा/ थानाध्यक्ष, बख्तियारपुर को भेजें।</p> <p>मुकेश यादव को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष, बख्तियारपुर को भेजें।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा को पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर/ थानाध्यक्ष, कल्याणपुर को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा सहरसा जिले के सभी थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिये अग्रसारित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।</p> <p>लेखामित एवं शुद्धिकृत</p> <p>जिला दण्डाधिकारी, सहरसा</p> <p style="text-align: right;">जिला दण्डाधिकारी, सहरसा</p>
--	--

ज्ञापांक.....112...../न्याया0, सहरसा, दिनांक- 15.03.19

प्रतिलिपि- जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर/ पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर/ थानाध्यक्ष, कल्याणपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा/थाना अध्यक्ष, बख्तियारपुर जिला एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मुकेश यादव, पिता- स्व0 इन्साफी यादव, साकिन- सैनी टोला, थाना- बख्तियारपुर, जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।



जिला दण्डाधिकारी,  
सहरसा।

